रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11, 2007/श्रावण 20, 1929
No. 231] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11, 2007/SRAVANA 20, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2007

विषय : यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/9/2007-डीजीएडी.– वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन एवं उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संकलन एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल से अथवा वहा से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 तथा अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले फेनॉल के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 24 जून, 2002 की अधिसूचना सं0 14/4/2002-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 13 अगस्त 2002 की अधिसूचना सं0 79/2002 - सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम शुल्क लगाया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं0 14/4/2002-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे और दिनांक 24 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं0 47/2003 सीमाशुल्क के अनुसार सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । इसके अलावा मध्यावधि समीक्षा 14 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं0 15/4/2006-डी जी ए डी द्वारा प्रारंभ की गई थी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं0 15/4/2006-डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

2. समीक्षा का आधार और शुरूआत

वर्तमान याचिका मै0 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि0 मुम्बई तथा एस आई ग्रुप (जिसका नाम पहले शेनेक्टेडी हर्डिलिया) लिमिटेड, मुम्बई द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (5) के तहत दायर की गयी है, जिसमें सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ से फेनॉल के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है । समीक्षा हेतु अपने आवेदन में याचिकाकर्त्ताओं ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । अपनी याचिका में याचिकाकर्त्ता ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने पर पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर आगे और पाँच वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने और उसमें संवृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

याचिका के साथ विधिवत संलग्न साक्ष्यों की जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधकारी मानते हैं कि यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम धारा 9 क (5) के प्रावधान के तहत इस स्तर पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा ।

3. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान समीक्षा याचिका में विचाराधीन उत्पाद फेनॉल है । फेनॉल एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 27 तथा 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथापि, यह वर्गीकरण सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांचों के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है । चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद ही है, क्योंकि जांच के बाद की अवधि में उत्पाद को कोई विशेष बदलाव नहीं हुए हैं ।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा जाएगा) हैं ।

5. क्रियाविधि

दिनांक 13 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 14/4/2002-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने तथा दिनांक 24 मार्च, 2003 को अधिसूचना सं0

47/2003 सीमाशुल्क द्वारा अंतिम शुल्क लागू करने के पश्चात जिसे दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं0 15/4/2006-डी जी ए डी की मध्यावधि समीक्षा परिणाम द्वारा संशोधित किया गया था, प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल के आयातों के संबंध में इस बात की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से फेनॉल के आयातों पर पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं ।

समीक्षा में दिनांक 13 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 14/4/2002-डी जी ए डी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) तथा उसके पश्चात प्राधिकारी द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा के सभी पहलू शामिल हैं । प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमों के अनुसार मै0 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि0, मुम्बई तथा मै0 एस आई ग्रुप (पूर्व में शेनेक्टेडी हर्डीलिया) लि0 को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि मानने का प्रस्ताव करते हैं, जिनका भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा है । मै0 एस आई ग्रुप ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की एक छोटी मात्रा का आयात किया है और उस आयात को उल्लेखनीय नहीं माना जा सकता । अतः मै0 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., मुंबई तथा एस आई ग्रुप (शेनेक्टेडी हर्डीलिया) को इन समीक्षा जांचों में घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव किया गया है ।

6. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 (12 माह) तक है । तथापि क्षति जांच की अवधि में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि से तीन वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2003 से जांच अवधि के अंत तक की (अर्थात ए एम. 2004, ए एम 2005, ए एम 2006 तथा जांच की अवधि) अवधि शामिल होगी ।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है । वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार भी निम्नलिखित पते पर अपने अनुरोध भेज सकता है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी), कमरा सं0 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।

8. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जानी चाहिए । तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर भेजनी होगी । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

आर. गोपालन, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2007

Subject : Sunset review of anti-dumping duty imposed on Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore

No. 15/9/2007-DGAD.— The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Phenol falling within chapters 29 and 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore (also referred to as subject countries). The preliminary findings were published vide Notification No 14/4/2002-DGAD dated 24th June 2002 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 79/2002-Customs dated 13th August, 2002. The Designated Authority came out with final findings on 13th February, 2003 vide notification no 14/4/2002-DGAD and

definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 47/2003-Customs dated 24th March, 2003. Further, mid term review investigations were initiated vide notification no. 15/4/2006-DGAD dated 14th July, 2006 and the final findings were notified vide notification no 15/4/2006-DGAD dated 13th July, 2007.

2. Grounds for review and initiation

The present application has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai along with SI Group (formerly Schenectady Herdillia) Limited, Mumbai under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules requesting sunset review of anti dumping duties earlier imposed on imports of Phenol from Singapore, South Africa and European Union.

In their application of review, the applicants have substantiated the need for review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from subject countries. In their application, the petitioner has claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from subject countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and have requested to continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods from subject countries for a further period of 5 years.

On the basis of the examination of the duly substantiated application, the Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-Dumping Duty imposed would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, read with rule 23 of the Anti dumping rules as amended.

3. Product under Consideration

The Product under consideration in the present review petition is Phenol. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 27 and 29 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations. Since, the present investigation is a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation, as there has been no significant development in the product during the period thereafter.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present investigations are European Union, South Africa and Singapore (also referred to as subject countries hereinafter).

5. Procedure

Having decided to review the final findings notified vide no. 14/4/2002-DGAD dated 13th Feb., 2003 and final duty imposed by no. 47/2003-Customs dated 24th March, 2003, as modified by the mid term review findings notified vide notification no 15/4/2006-DGAD dated 13th July, 2007, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Phenol originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

The review covers all aspects of Notification No. 14/4/2002-DGAD dated 13th February, 2003 (Final findings of the original investigations) and subsequent mid term review carried out by the Authority. The Authority proposes to consider M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai and M/s SI Group (formerly Schenectady Herdillia) limited, who constitute a major proportion of the production of the subject goods in India, to represent the domestic industry in accordance with the Rules supra. M/s SI Group has imported a small quantity of subject goods from subject countries and that import is considered as insignificant. Hence M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai along with SI Group (formerly Schenectady Herdillia) limited are proposed to be considered as domestic industry in this review investigations.

6. Period of Investigation

The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2006 to 31st March 2007 (12 months). The period of injury examination would however include POI and three years prior to the POI i.e. from 1st April 2003 to the end of POI (i.e. April-March 2004, April-March 2005, April-March 2006 and POI.

7. Submission of Information:

The exporters in subject country, their government through their Embassy/High Commission in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD), Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Addl. Secy. & Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.